राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः–प.9(14)वित्त/नियम/2005 पार्ट जयपुर, दिनांकः– 05 MAY 2026

परिपत्र

विषयः– समस्त सेवारत राज्य कार्मिकों के समय–समय पर किये गये वेतन निर्धारणों की पुनः जांच के संबंध में।

संदर्भः– समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.04.2017, 05.09.2017 एवं 04.09.2025

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.04.2017 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं रफीक मसीह के वाद संख्या 11527/2014 में कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के अनियमित/अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं किये जाने के संबंध में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारियों के समय–समय पर किये गये वेतन निर्धारणों की समग्र रूप से जांच कर लिये जाने एवं कोई विसंगति नहीं होने के संबंध में माह सितम्बर, 2017 के वेतन बिलों पर इस बाबत प्रमाण पत्र अंकित करने के निर्देश जारी किये गये थे। यह भी निर्देशित किया गया था कि राज्य कर्मचारी के वेतन एवं भत्तों में किसी भी प्रकार की वृद्धि के आदेश जारी किये जाने से पूर्व विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा अधिकारी से पूर्व जांच करवायी जावे। तत्पश्चात् भी भविष्य में यदि कोई अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है तो उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

विभागों द्वारा उक्त परिपत्र में प्रदान किये गये निर्देशों के बावजूद वेतन निर्धारण के प्रकरणों की गहनता से समुचित एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में जाँच नहीं किये जाने के फलस्वरूप नियम विरूद्ध किये गये वेतन निर्धारणों के अनेकों प्रकरण अनियमित/अधिक भुगतान की गई राशि को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.08.2016 के अंतर्गत माफ किये जाने हेतु अभी भी वित्त विभाग को संदर्भित किये जा रहे हैं।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभाग अपने कार्मिकों के समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एसीपी, एमएसीपी आदि में किये गये वेतन निर्धारणों की उनके सेवा अभिलेखों से नियमों के परिप्रेक्ष्य में पुनः गहनता से जाँच करें तथा विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी से सत्यापित करावें। पुनः परीक्षण/जांच करने के उपरांत यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे तत्काल संशोधित करावें तथा यह सुनिश्चित करें कि अनियमित वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की स्थिति नहीं रहे। इस संबंध में माह जुलाई, 2026 के वेतन बिलों में कार्मिकों के वेतन निर्धारणों की पूर्ण जाँच कर लिये जाने बाबत प्रमाण पत्र दिया जावे।

वेतन निर्धारण की पुनः जाँच एवं इस बाबत प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरांत यदि भविष्य में नियम विरूद्ध वेतन के अनियमित भुगतान के कोई पूर्ववर्ती प्रकरण प्रकट होते हैं तो तत्समय जांच में लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनसे उक्त अधिक भुगतान की वसूली एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(हरीश कुमार लालवानी)
संयुक्त शासन सचिव–।

(RCS(RP)2017 – 2 /2026)